1 (iii) सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन विवरण

(रिपोर्टाधीन वर्ष 2023-24 के अंत तक)

(₹करोड़ में)

वर्ग	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि (स्तंभ. 4+ स्तंभ.5)	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान हटाई गई गारंटी (लागू की गई गारंटियों से भिन्न)	वर्ष के दौरान लागू की गई		वर्ष के अंत में बकाया [स्तंभ.3- (स्तंभ.6+ स्तंभ.7+ स्तंभ.8)]	गारंटी कमीशन या शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरे
						चुकाई गई	चुकाई नहीं गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. मूलधन की अदायगी एवं ब्याज के भुगतान, कैश क्रेडिट फेसिलिटी, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण और/या कंपनियों, कार्पोरेशनों, सहकारी समितियों एवं बैंकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को दी गई गारंटियां	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण विभाग€	43500.00 (3)	40500.00 (2)	3000.00 (1)	3000.00	...	...	40500.00 (3)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग^	14144.36 (10)	13302.55 (10)	841.81	3173.79 (3)	...	...	10970.57 (7)	77.14	75.83	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग@	6000.00 (1)	6000.00 (1)	...	...	...	...	6000.00 (1)	...	...	...
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	1381.00 (1)	1346.15 (1)	34.85	...	...	...	1381.00 (1)	13.46	13.46	...
	वाणिज्य विभाग@@	761.53 (1)	657.08 (1)	104.45	205.24	...	...	556.29 (1)	6.57	...	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय औषध विभाग $	1195.83 (4)	1195.83 (4)	0.00	1156.83 (3)	...	...	39.00 (1)	100.43	...	...
	कुल	**66982.72 (20)**	**63001.61 (19)**	**3981.11 (1)**	**7535.86 (6)**	...	...	**59446.86 (14)**	**197.60**	**89.29**	...
2. सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा शेयर पूंजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान तथा जारी किए गए या जुटाए गए बांड या ऋणों, ऋणपत्रों की अदायगी के लिए दी गई गारंटियां	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग £	...	...	...	...	...	...		8.50	8.50	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^	5116.35 (11)	3034.50 (1)	2081.85 (10)	...	...	...	5116.35 (11)	8.65	8.69	...
	विद्युत मंत्रालय#	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	...	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	36700.00 (5)	36700.00 (5)	...	... ...	...	...	36700.00 (5)	...	...	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग*	45323.66 (13)	36603.67 (11)	8719.99 (2)	2840.00 (3)	...	...	42483.66 (10)	163.38	85.00	...
	कुल	**94140.01 (31)**	**83338.17 (19)**	**10801.84 (12)**	**2840.00 (3)**	...	...	**91300.01 (28)**	**250.53**	**102.19**	...
3. मूलधन, ब्याज और/या ऋणों	नागर विमानन मंत्रालय	15426.66 (4)	15425.01 (4)	1.65	...	...	...	15426.66 (4)	2.00	2.00	...

वर्ग	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि (स्तंभ. 4+ स्तंभ.5)	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान हटाई गई गारंटी (लागू की गई गारंटियों से भिन्न)	वर्ष के दौरान लागू की गई		वर्ष के अंत में बकाया [स्तंभ.3- (स्तंभ.6+ स्तंभ.7+ स्तंभ.8)]	गारंटी कमीशन या शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरे
						चुकाई गई	चुकाई नहीं गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
इत्यादि पर प्रतिबद्धता प्रभार की अदायगी और/या सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं इत्यादि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में दी गई गारंटियां	कोयला मंत्रालय **	584.86 (3)	579.92 (3)	4.94	37.50	...	...	547.36 (3)	5.00	5.00	...
	विद्युत मंत्रालय	38143.85 (41)	36467.11 (41)	1676.74	4329.90	...	...	33813.95 (41)	436.91	440.37	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग ¥	13431.40 (4)	12437.98 (4)	993.42	26.25	...	...	13405.15 (4)	66.50	205.56	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग ^^^	86571.69 (365)	67733.88 (350)	18837.81 (15)	7851.70 (74)	3562.53	...	75157.46 (291)	93.64	93.56	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	48.84 (3)	48.09 (3)	0.75	3.48	...	...	45.36 (3)	0.19	0.19	...
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	317.78 (1)	312.40 (1)	5.38	117.93	...	...	199.85 (1)	0.78	0.78	...
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय##	12884.29 (17)	12378.96 (16)	505.33 (1)	740.95 (1)	...	...	12143.34 (16)	112.63	62.21	...
	इस्पात मंत्रालय	302.95 (2)	302.95 (2)	...	25.94	...	...	277.01 (2)	0.86	0.86	...
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	773.45 (3)	765.14 (3)	8.31	109.56 (1)	...	...	663.89 (2)	9.17	9.16	...
	विदेश मंत्रालयβ	19075.16 (9)	16472.57 (9)	2602.59	651.57	...	...	18423.59 (9)	...	...	...
	रेल मंत्रालय ***	10612.89 (3)	8970.64 (2)	1642.25 (1)	659.70	...	...	9953.19 (3)	114.87	114.87	...
	कुल	**198173.82 (455)**	**171894.65 (438)**	**26279.17 (17)**	**14554.48 (76)**	**3562.53**	...	**180056.81 (379)**	**842.55**	**934.56**	...
4. बैंकों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रति-प्रतायभूतियां कि बैंकों ने की गई आपूर्तियों या प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को साख-पत्र या प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा देय राशि के नियत एवं समयबद्ध भुगतान के लिए रेलवे की दी गई गारंटियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

वर्ग	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि (स्तंभ. 4+ स्तंभ.5)	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान हटाई गई गारंटी (लागू की गई गारंटियों से भिन्न)	वर्ष के दौरान लागू की गई		वर्ष के अंत में बकाया [स्तंभ.3- (स्तंभ.6+ स्तंभ.7+ स्तंभ.8)]	गारंटी कमीशन या शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरे
						चुकाई गई	चुकाई नहीं गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. उपर्युक्त पाँच वर्गों में शामिल न होने वाली अन्य गारंटियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल जोड़	**359296.55 (506)**	**318234.43 (476)**	**41062.12 (30)**	**24930.34 (85)**	**3562.53**	...	**330803.68 (421)**	**1290.68**	**1126.04**	...

कोष्ठक में आंकड़े गारंटियों की संख्या दर्शाते हैं।

€ *दिनांक 01.08.2023 से एनएएफईडी से वापस लेकर एनसीसीएफ को दी गई ₹3,000 करोड़ रुपए की गारंटी। गारंटी शुल्क को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा छोड़ दिया गया है।*

^ *स्तंभ सं. 4 के संबंध में पिछले वर्ष के अंतिम शेष और इस वर्ष के प्रारंभिक शेष के बीच अंतर है, जिसके कारण हैं* (i) *वित्त वर्ष 2022-23 और तत्पश्चात वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएचबी के संबंध में आईजीएएस-1 के संशोधन के साथ-साथ नाबार्ड में संशोधन* (ii) *विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में अंतर के कारण एसआईडीबीआई और आईआईएफसी (यूके) के संबंध में स्तंभ सं. 4 में आंकड़ों का अद्यतनीकरण। स्तंभ सं. 4 में गारंटियों की संख्या का अद्यतनीकरण विभाग द्वारा दी गई सूचना और पुष्टि के अनुसार किया गया है।*

@ *दिनांक 01.04.2023 के आगे एक वर्ष की अवधि के लिए आहरित फूड क्रेडिट के संबंध में 6000 करोड़ रुपए की नकद सीमा का लाभ लेने के उद्देश्य से एफसीआई के लिए सिंगल डिफाल्ट गवर्नमेंट गारंटी का विस्तार।*

@@ *सीसीए के अनुमोदन से दिनांक 16.12.24 के का. ज्ञा. द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार गारंटी का वर्ग बदलकर* (3) *से* (1) *कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में प्राप्य, वर्ष 2022-23 में प्राप्त और लेखा में दर्शाया गया 6.57 करोड़ का गारंटी शुल्क।*

$ *कोल इंडिया और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से लंबित बकाया की पूर्ण माफी।*

£ *वित्त वर्ष 2023-24 में मैसर्स एचओसीएल द्वारा 8.5 करोड़ की राशि का गारंटी शुल्क (जुर्माना) जमा कर दिया गया है।*

^^ *8.69 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ लेकिन केवल 8.64 करोड़ का ही लेखांकन किया गया। शेष 0.05 करोड़ का लेखांकन एनटीआर पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं हुआ।*

वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित₹70.00 करोड़ का डीवीसी का गारंटी शुल्क वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट हुआ है।.

* *गारंटी शुल्क मंत्रिमंडल द्वारा माफ कर दिया गया है। इसलिए, प्राप्य और प्राप्त गारंटी शुल्क में माफ की गई राशि शामिल नहीं होती है।*

** *वृद्धि और हटाई गई गारंटी के स्तंभों में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर/उतार-चढ़ाव के कारण।*

¥ *प्राप्य और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर एमएमआरडीए से₹139.06 करोड़ की राशि का जुर्माना प्राप्त होने के कारण है।.*

^^^ *उनके दिनांक 06.12.2024 के संशोधित विवरण में दी गई रिपोर्ट के अनुसार। प्राप्य और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर नाबार्ड से भारत सरकार द्वारा लगाए गए गारंटी शुल्क के भुगतान में देरी के जुर्माने के रूप में ₹1.14 करोड़ की राशि प्राप्त होने के कारण है और ₹1.22 करोड़ के गारंटी शुल्क का लेखांकन अभी किया जाना है, जो भारत कोष पोर्टल पर लंबित है।*

अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच₹255.57 करोड़ के अंतर का कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर है। विवरण सं. 4 में वृद्धि की राशि में एसबीआई की ₹1246.16 करोड़ की ऋण राशि शामिल है, हालांकि, चूंकि एसबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तव में कोई राशि आहरित नहीं की गई है इसलिए वह राशि वृद्धि स्तंभ से घटा दी गई है। प्राप्य और प्राप्त के बीच अंतर का कारण है:-

i) *पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने क्रमशः₹1.07 करोड़ और ₹1.38 करोड़ के गारंटी शुल्कों (पैनल प्रभारों) के विलंबित प्रभारों का भुगतान कर दिया है।*

ii) *आईआरईडीए ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹32.38 करोड़ की राशि के दांडिक गारंटी शुल्क का भुगतान कर दिया है। आईआरईडीए द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के ₹85.25 करोड़ की राशि के गारंटी शुल्क का भुगतान पहले ही दिनांक 31.03.2023 को कर दिया गया है।*

6 *विदेश मंत्रालय से प्राप्त संशोधित विवरण के अनुसार गारंटी का वर्ग बदलकर* (6) *से* (3) *कर दिया गया है, जिसे दिनांक 19.12.2024 के पत्र द्वारा सीजीए को भी भेजा गया है। मालदीव के दो लेटर आफ कम्फर्ट गारंटी में परिवर्तित कर दिए गए हैं, जो अब शामिल हैं।*

*** *स्तंभ सं. 5 के आंकड़ों में अंतर का कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में ₹129.35 करोड़ का अंतर है। रेल मंत्रालय से प्राप्त संशोधित विवरण के अनुसार प्राप्त और प्राप्य गारंटी शुल्क में संशोधन किया गया है।*

नोट:-

1. *उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित हैं। अभिलेखों का आगे और मिलान करने के कारण बदलाव होने पर इन आंकड़ों में अंतर आ सकता है।*
2. *वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धियां ₹41062.26 करोड़ थीं, जो वर्ष 2023-24 के लिए बाजार मूल्यों (पीई) पर जीडीपी का* 0.14 % *है।*
3. *वित्त वर्ष 2024-25 के लिए (दिसंबर, 2024 तक) वित्त मंत्रालय द्वारा ₹27343.96 करोड़ की राशि की गारंटियों को प्रतिबद्ध/अनुमोदित किया गया है, जो वर्ष 2024-25 (एफएई) की अनुमानित जीडीपी का* 0.08% *है, जो कि* 0.5% *की सीमा से काफी कम है।*
4. *गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध रहती हैं तथा संबंधित गारंटी करार में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन संस्था द्वारा ऋण की अदायगी के स्तर तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाती हैं।*